न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 155 / 2017(17 / 2016) / जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. अचलदास पुत्र चांदनमल उम्र 75 जाति महाजन निवासी सांगड़ तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।	बनाम	1.अम्बादान पुत्र पन्नादान के कायम मुकाम :– 1/1 रतनदान पुत्र अम्बादान उम्र 53 साल 1/2भीखदान पुत्र अम्बादान उम्र 50 साल 1/3कैलाशदान पुत्र अम्बादान उम्र 45 साल 1/4 आसूदान पुत्र अम्बादान उम्र 36 साल 1/5मांजू पत्नी अम्बादान उम्र 70 साल जातियान सारण निवासीयान सांगड़ तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर 2 तहसीलदार फतेहगढ 3 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर जैसलमेर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 38/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2016 एवं प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी पेश किया।

उपस्थित

1. वकील श्री सुनील के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 09.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद मौजा सांगड़ तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर के खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या 435 रकबा 54 बीघा की भूमि सरकारी सिवायचक से हटाकर स्वयं की खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया, जिसमें बताया कि समरी बंदोबस्त के खाता संख्या 5, 166, 167, 168, 169, 170, 171 व 171 रकबा क्रमश 86.05 बीघा, 17.06 बीघा, 57.10 बीघा, 56.05 बीघा, 69 बीघा, 46 बीघा, 57.10 बीघा कुल रकबा 419.15 वादी के नाम खुद दर्ज होकर खातेदारी की भूमि अभिलेख में दर्ज रही है। नियमित बंदोबस्त के दौरान वादी के समरी खाता संख्या 5 खसरा संख्या 171 खेत सुरात रकबा 46 बीघा किस्म बाजरिया का नियमित बन्दोबस्त में **नियमित खसरा संख्या 435 रकबा 129.5 बीघा** वर्तमान रकबा 54 बीघा बंदोबस्त अधिकारियों ने वादी के अनपढ व गरीब होने के कारण अन्य लोगों की मिलावट से उतरदाता संख्या 01 के खातेदारी में दर्ज उक्त सिवायचक दर्ज कर दी गई। जबकि वादी उक्त भूमि पर समरी बंदोबस्त से लगातार काबिज काश्त था। अभिलेख में कांट–छांट से उक्त भूमि में 75 बीघा भूमि चांदमल नाम के व्यक्ति के नाम नामांतरण से दर्ज कर दी गई। जिसका खसरा संख्या 435/755 कायम किया गया व शेष 54 बीघा भूमि सिवायचक दर्शा दी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर आए साक्ष्य एवं स्वयं उतरदाता संख्या 01 द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्य की 75 बीघा भूमि चांदनमल को आवंटित की गई थी, के पश्चात भी चांदनमल के वारिसान को जो कि खसरा संख्या 435/755 के रिकॉर्डेड खातेदार अचलदास को पक्षकार बनाए व सुनवाई का मौका दिये बगैर की अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया, रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन तलब बावजूद अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर आए साक्ष्य एवं स्वयं उतरदाता संख्या 01 द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्य की 75 बीघा भूमि चांदनमल को आवंटित की गई थी, के पश्चात भी चांदनमल के वारिसान को जो कि खसरा संख्या 435/755 के रिकॉर्डेड खातेदार अचलदास को पक्षकार बनाए व सुनवाई का मौका दिये बगैर की अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। जो गलत है एवं विधि के स्थापित नियमों की अनदेखी कर पारित किया गया है तथा अपीलांट के भौतिक कब्जे काश्त के विरूद्ध है। **उतरदाता संख्या 01 ने खसरा संख्या 433 की 148.03 बीघा भूमि** का जो पंजीबद्ध बेचान भीखचंद व मोहनलाल के पक्ष में दिनांक 27.08.1980 को निष्पादित किया था उसके पेज संख्या 01 में खसरा संख्या 435/755 पर अपीलांट के पिता चांदनमल पुत्र अणतलाल जी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

का कब्जा व खेत स्थापित होना लिखित में होना अंकित किया था। यह रेस्पोडेंट के पिता की लिखित स्वीकारोक्ति है, जिससे खसरा संख्या 435 की समग्र भूमि पर उतरदाता संख्या 01 का कब्जा स्थापित नहीं होता। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 की ओर से अपनी बहस में बताया कि जैसलमेर जिले में समरी सैटलमेंट अन्दाजिया था भू-प्रबन्ध विभाग ने जब नाप-जोख की तब जो व्यक्ति जितने रकबे पर काबिज था उसकी खातेदारी जारी कर दी गई और तत्समय रेस्पोडेंट के पिता स्व. अंबादान द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर विचार करते हुए भूमि का तबादला करते हुए वांछित भूमि को खातेदारी के बदले सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित नहीं किया गया है। यदि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तो उन्हे कोई आपति नहीं है।

अपीलांटस द्वारा एक प्रार्थना-पत्र 96 सीपीसी व अन्य पक्षकार को अपील की स्वीकृति बाबत पेश कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलांट को आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं कर दुरभि-संधि के द्वारा छुपे तौर पर वाद पेश कर निर्णित करवाया है, जबकि उक्त वाद से अपीलांट भी दावाकृत भूमि में आवंटन के फलस्वरूप रिकॉर्डेड खातेदार होने से प्रभावित होते है एवं उतरदातागण द्वारा करोडों की सरकारी भूमि को हड़प करने का प्रयास किया है। अपीलांट सांगड़ कस्बे के मूल निवासी होने एवं खसरा संख्या 435/755 का आवंटी कब्जाधारी रिकॉर्डेड खातेदार होने से अपीलांट का उक्त प्रकरण में हित निहित है और आवश्यक पक्षकार है। इसलिए अन्य पक्षकार को अपील की स्वीकृति बाबत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जावे।

अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिए धारा 96 के आवेदन के समर्थन में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन निर्णय में वे हितबद्ध होकर आवश्यक पक्षकार है। इस दृष्टि से अपीलांटगण अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर आवश्यक पक्षकार ठहरते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय में प्रभावित पक्षकार होने के बावजूद भी उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया लिहाजा अन्य पक्षकार को अपील की स्वीकृति बाबत अपीलांटगण को धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध भू–प्रबंध विभाग के अभिलेख (पृष्ठ संख्या 22 से 26) को देखा गया। पृष्ठ संख्या 24 व 25 भू–प्रबंध (सेटलमेंट) विभाग की फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा में सहायक भू–प्रबंध अधिकारी का नोट दृष्टव्य है "निरीक्षक जी का नोट सविस्तार है। खसरों में पहले खसरा संख्या 465 व 466 श्री अम्बादान के नाम खातेदारी में लिखकर बाद में कांट कर सिवायचक किया है अतः स्वीकार है इसमें आगे इस प्रकार और अधिक स्पष्ट किया गया है कि सायल अंबादान हाजीर जिन्होने जाहिर किया कि गत समरी सेटलमेंट में मेरे नाम रकबा 419.10 बीघा है और मेरा कब्जा काश्त अपने ही बीघो पर है लेकिन हाल सेटलमेंट में मुझे 34.01 बीघा रकबा कम दिया गया है, अब दिया जावे, साथ में यह भी है कि मुझे सेटलमेंट में खातेदारी में खसरा संख्या 192,416,433,435,554 दिये गए है लेकिन इन नंबरों में से मेरा कब्जा काश्त खसरा संख्या 192, 433 पर है खसरा संख्या 416, 435 व 554 पर मेरा कब्जा काश्त नहीं है। मेरी कब्जा काश्त खसरा संख्या 465, 466 पर है खसरा संख्या 416, 435 व 554 की बजाय खसरा संख्या 465, 466 दिया जावे। मौतबरान देह इनकी कथन की इनायत करते है। अतः इनके खाते में समरी सेटलमेंट रकबा 419.10 बीघा है और सेटलमेंट से इन्हें पर्चा 385.13 बीघा का मिला है। समरी सेटलमेंट 34.02 बीघा एक बेसी कमी है जो पूर्ति करना अति आवश्यक है साथ ही इनका कहना है कि मेरा कब्जा 465, 466 पर है जो मुझे दिया जावे। अंबादान के कथन के अनुसार मैने स्वयं ने मौका देखा है जिसमें खसरा संख्या 416, 435 व 554 पर इनका कब्जा काश्त नहीं है। इनका कब्जा काश्त खसरा संख्या 465 व 466 पर है। खसरा संख्या 416, 435 व 554 का रकबा 220 बीघा है तथा खसरा संख्या 465 व 466 रकबा 258.13 बीघा है इनका आपस में अंतर 38.13 बीघा है जिनमें इनके खाते में समरी सेटलमेंट की जमीन 419.10 बीघा है और इन्हे 385.12 बीघा दिया है। सो 34.02 बीघा रकबा की कमी है। रकबा 38.13 बीघा बेसी में पूर्ति हेतु 34.02 बीघा रकबा और देने पर 04.11 बीघा रकबा गत समरी से बेसी रहता है जो इतने बड़े खेत में काटना मुमकिन नहीं है। अतः खसरा संख्या 416, 435 व 554 अंबादान के नाम से खारिज होकर सिवायचक दर्ज होना उचित है। तथा खसरा संख्या 415, 466 सिवायचक से अंबादान के नाम से खातेदारी दर्ज होना वाजिब है। इस तहरीर पर दिनांक 24.02.1971 मुताबिक आदेश ए. एस. ओ. के कागजात अमल दरामद किया गया। इस आदेशिका पर वादी अंबादान का अंगुष्ठ निशान एवं मेघूदान के हस्ताक्षर है। यह आदेश वादी के कथनानुरूप होने से विधि सम्मत है और आज भी प्रभावी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

इसके आधार पर रेस्पोडेंटगण के पिता (वादी) को पर्चा खतौनी (पृष्ठ संख्या 22 व 23) में खसरा संख्या 192, 433, 465, 466 कुल खसरे 04 रकबा 419.10 बीघा खातेदारी दी जाकर उनकी स्वीकारोक्ति के आधार पर खसरा संख्या 416, 435, 554 को खारिज कर सिवायचक में दर्ज कर लिया गया और सिवायचक खसरा संख्या 465 व 466 उनकी खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार उनके द्वारा वक्त सेटलमेंट स्वीकारोक्ति मुजब इन्द्राज किये जाकर खातेदारी दे देने से उनका अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावा असत्य, बेबुनियाद एवं सद्भावी नहीं है। वादी (मृतक अंबादान) ने अपनी स्वीकारोक्ति के विपरीत अपने वाद के पद संख्या 03 में असंगत, विरोधाभासी एवं गलत तथ्य पेश कर वास्तविकता को उजागर किये बगैर राजकीय भूमि को हड़पने हेतु दावा किया। वादी के खातेदारी हकूकों का निर्धारण तो वक्त सेटलमेंट ही होकर निर्णीत किया जा चुका था इसलिए उसे दावा लाने का कोई अधिकार ही व्युत्पन्न नहीं होता है। न ही दावे के लिए कोई समुचित वाद हेतुक ही विद्यमान रह जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने सेटलमेंट के अभिलेख पर बिना गौर किये अपीलाधीन निर्णय दिया है जो विधि सम्मत नहीं है। इसके अलावा एक अन्य प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 27.08.1980 वादी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 433 द्वारा अंबादान (वादी) बहक भीखचंद, मोहनलाल पुत्रान श्री अणतलालजी में अंकित हदूदो, एवं इसके संलग्न प्रस्तुत नक्शे के मुताबिक भी वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 435/755 श्री चांदणमल पुत्र श्री अणतलालजी का होना वादी द्वारा स्वीकार किया गया है। यह अभिलेख भी इस दावे के विपरीत वादी की स्वीकारोक्ति है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 38/2014 बअनवान अम्बादान बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2016 को अपास्त किया जाता है।

9/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner